अलीगढ़–रामघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग–105) किमी0 17 चैनेज (16.433 से 16.680) दांयी पटरी ग्राम–अहमदपुरा खाता संख्या 211, 425ख, 426, 436, 437, 438, 439, 440, 162अ, 162व, 80, 81, 121अ, 122, 31मी0, 70, 73, 74, 77, 78, 121व, 123, 157, 156, 453, 457, 460, 477 तहसील अतरौली में वेब डिस्टिरीज एण्ड ब्रेबरीज, अलीगढ़ के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

अलीगढ–रामघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग–105) किमी0 17 चैनेज (16.433 से 16.680) दांयी पटरी ग्राम–अहमदपुरा खाता संख्या 211, 425ख, 426, 436, 437, 438, 439, 440, 162अ, 162व, 80, 81, 121अ, 122, 31मी0, 70, 73, 74, 77, 78, 121व, 123, 157, 156, 453, 457, 460, 477 तहसील अतरौली में वेब डिस्टिरीज एण्ड ब्रेबरीज, अलीगढ़ के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु कार्योपरांत स्वीकृति के वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव Proposal No.: FP/UP/IND/144548/2021 में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है–

(1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरणः–

(A) **स्थल का विवरण–** अलीगढ–रामघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग–105) किमी0 17 चैनेज (16.433 से 16.680) दांयी पटरी ग्राम–अहमदपुरा खाता संख्या 211, 425ख, 426, 436, 437, 438, 439, 440, 162अ, 162व, 80, 81, 121अ, 122, 31मी0, 70, 73, 74, 77, 78, 121व, 123, 157, 156, 453, 457, 460, 477 तहसील अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

(B) **भूमि का क्षेत्रफल–** 0.0545006 है0

(C) **मानचित्र–** प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(D) **अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण–** प्रकरण में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं था। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

2. **रिपोर्टः– एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेगें जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।**

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था की औद्योगिक संस्था हेतु अलीगढ़–रामघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग–105) किमी0 17 चैनेज (16.433 से 16.680) दांयी पटरी पर सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/IND/144548/2021 कार्योपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, अतरौली रेंज द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 54/14–10 दि0 16.09.2021 द्वारा प्रेषित संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार, वेब डिस्टिरीज एण्ड ब्रेबरीज लि0 द्वारा प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण कर लिया है, जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्र सं0 1122/अलीगढ/144548 दिनांक 21.09.2021 द्वारा उल्लंघन किये जाने की दिनांक एवं वेब डिस्टिरीज एण्ड ब्रेबरीज के Head के नाम पर अवगत कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया। जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य कराये जाने के समय श्री श्याम सुन्दर सिंह, उपाध्यक्ष, वेब डिस्टिरीज एण्ड ब्रेबरीज लिमिटेड के निर्माण के समय कार्यरत थे।

अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

श्री श्याम सुन्दर, उपाध्यक्ष, वेब डिस्टिरीज एण्ड ब्रेबरीज लिमिटेड, रामघाट रोड़, ग्राम अहमदपुरा, तह0 अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

3. **वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण–**

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण भारत सरकार द्वारा बिना विधिवत् स्वीकृति प्राप्त किये, कार्य पूर्ण कराये जाने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, अतरौली रेंज एवं स्थल पर तैनात वनविद्/वन रक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में बिना भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये ही, सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने के कारण, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप वर्तमान में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी, अतरौली रेंज

द्वारा केस सं0 **02/अतरौली/2022–23 दि0 01.08.2022 (संलग्नक–1)** द्वारा एच0–2 केस इजरा किया गया है। जिसे दिनांक 14.11.2022 को प्रशमित कर, जुर्माना **रू0 50,000 (रू0 पचास हजार मात्र)** राजकीय मद में जमा कराया गया है। **(संलग्नक–2)**

4. यदि किसी भूल–चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी–

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2021, में कार्योपरान्त स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है एवं अवगत कराया है कि समस्त विभागों से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही औद्योगिक संस्थान का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया है। जबकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वर्ष 1980 में ही पारित किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के संबंध में पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रकरण में किसी भी भूल–चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

राजिवाद सं० 2/अ०र०/22-23 बुक सं० 91 क्रम संख्या 4541

प्रभागीय बाद सं०......................

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन)......अलीगढ़..........

भा०व० अधि० 1927

अन्य अपराध......उ०उ......प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० ....दिनांक 01-08-2022 अधिक्षेत्र राजि...अतरौली

1– नाम, पिता का नाम और निवास–स्थान श्री श्याम सुन्दर सिंह, Head of वैव डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज अलीगढ़ - रामघाट रोड, अहमदपुरा अतरौली (अलीगढ़)

2– साक्षी का नाम श्री राहुल चौधरी व०द०

3– कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक बिना अनुमति के गैर वानिकी संरक्षित वन भूमि अलीगढ़ - रामघाट रोड कि०मी० 17 चैनेज (16.433 से 16.680) पटरी दांयी क्षे० (0.0545000हे०) वन भूमि पर सम्पर्क मार्ग में प्रयोग करना।

4– मूल्य

5– चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टोगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

विभागीय जाँच

6– प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय

निवेदन है कि आज दिनांक 01.08.2022 को हमराह श्री राहुल चौधरी व०द० के साथ अलीगढ़ रामघाट मार्ग Km 17 चैनेज (16.433 से 16.680) पटरी दांयी पर वैव डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज अलीगढ़–रामघाट मार्ग अहमदपुरा अतरौली (अलीगढ़) को चैक किया गया उपरोक्त इण्डस्ट्रीज सम्पर्क मार्ग में प्रयोग (0.054500हे० वन भूमि के प्रयोग से सम्बन्धित परमीशन माँगी गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा वनभूमि को गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग, वनभूमि के अनुमति नहीं ली गई है अत: इनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 32(J), 32(K), 32(I), 33, 33(1H) का उल्लंघन किया गया है अत: रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

गवाह
(हस्ताक्षर)
राहुल चौधरी व०द०
अतरौली रेंज

प्रार्थी
विनय कुमार
विनय कुमार व०र०
अतरौली रेंज

श्री अमरेश कुमार व०नि० जाँच कर आख्या दें।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
अतरौली
सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

(73)

Forest Department, ~~सा० वा०~~ अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ Circle, Uttar Pradesh.

Book no. ____________ 058098

सा० वा० FOREST DIVISION अलीगढ़ 2022

Received from श्री श्याम सुन्दर सिंह, Head of, वेव डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज, रामघाट रोड अहमदपुरा (अतरौली)

the sum of Rupees 50000=00 (पचास हजार रुपये मात्र)

on account of रेंज केस सं०- 02/अत०/22-23 की प्रतिकर धनराशि शुल्क

Dated 14-11-2022

Forest Officer
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज अतरौली
सा० वा० प्रभाग (अलीगढ़)

UP--01 Forest--2-2-08--2500 Books. (D.T.P./ OFFSET.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़